2007:CGHC:5838

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 01/2007

आवेदक/याचिकाकर्ता: एस.आर.चवन, पिता आर.एस.चवन

बनाम

उत्तरवादीगण : सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य।

आदेश हेतु सूचिबध्द : 01-10-2007

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश क. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

29-09-2007.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 01/2007

आवेदक/याचिकाकर्ता: एस.आर.चवन, पिता श्री आर.एस. चवन, आयु लगभग 45 वर्ष, पूर्व उप प्रबंधक (विपणन), सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण: 1) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द्वारा- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

2) कार्यकारी निदेशक, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।

3) महाप्रबंधक, अकलतरा सीमेंट फैक्ट्री, सीसीआई, बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़)।

4) श्री पी.सी. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डीआईजी जांच अधिकारी, फ़्लैट क्रमांक 1269, सेक्टर-ए, पैकेट-8, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110080।

(रिट याचिका क्रमांक- 651/1996 में दिनांक 5 दिसंबर, 2006 के आदेश की पुनर्विलोकन के लिए पुनर्विलोकन याचिका)।

2007:CGHC:5838

एकल पीठ: माननीय श्रीमान सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: आवेदक/याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री के.आर. नायर।

उत्तरवादियों के अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी।

आदेश

(अक्टूबर, 2007 को पारित)

यह पुनर्विलोकन याचिका रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें रिट याचिका क्रमांक 651/1996 (एस.आर. चवन बनाम कार्यकारी निदेशक, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और अन्य) में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5-12-2006 के निर्णय एवं आदेश की पुनर्विलोकन की मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) दिनांक 5-12-2006 के निर्णय एवं आदेश के पुनर्विलोकन के आधार निम्नानुसार हैं:

i. कार्यकारी निदेशक, जिन्होंने दिनांक 9-8-1994 को बर्खास्तगी आदेश पारित किया था वह सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं और इसलिए एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध एवं विधि की दृष्टि से गलत है, जिस पर इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में निर्णय एवं आदेश पारित करने के दौरान विचार नहीं किया गया था।

ii. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा गलत तर्क दिया गया कि जेएसएम नियुक्ति प्राधिकारी है एवं उत्तरवादी सीसीआई द्वारा नियुक्त

विपक्षी अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि कार्यकारी निदेशक जेएसएम के पद के समकक्ष है और इसलिए कार्यकारी निदेशक बर्खास्तगी आदेश जारी करने के लिए जेएसएम के समकक्ष पद होने के कारण सक्षम प्राधिकारी है। इस माननीय न्यायालय ने, उन तर्कों के आधार पर, दिनांक 5-12-2006 के अपने आदेश में कहा कि "अधिवक्ता का दूसरा तर्क कि आक्षेपित आदेश एक अयोग्य अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, यह भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) कार्यकारी निदेशक (विपणन) के समकक्ष है। जेएसएम (कार्मिक) नियुक्ति प्राधिकारी है और वह कार्यकारी निदेशक (विपणन) के समकक्ष है"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iii. अधिवक्ता इस माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाने में भी विफल रहे, कि उप प्रबंधक के पद पर नियुक्ति और सेवा से उनकी बर्खास्तगी के लिए संयुक्त वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) या कार्यकारी निदेशक सक्षम प्राधिकारी नहीं थे, बल्कि निदेशक (कार्मिक) सक्षम प्राधिकारी हैं, जो कार्यकारी निदेशक और संयुक्त वरिष्ठ प्रबंधक से बहुत वरिष्ठ हैं।

3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नायर ने तर्क प्रस्तुत किया कि, इसमें स्पष्ट रूप से त्रुटि है क्योंकि रिट याचिका में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आचरण, अनुशासन और अपील नियम (संक्षेप में, "सीसीआई नियम") (अनुलग्नक ए/1) से संलग्न अनुशासनात्मक मामलों पर

शक्तियों के प्रत्यायोजन को दर्शाने वाली योजना स्पष्ट रूप से अंकित करती है कि निदेशक (कार्मिक/परियोजनाएं/संचालन/वित्त) के पास स्वीकृत पदों जिसका अधिकतम वेतनमान 1700/- रुपये से अधिक नहीं है उसके संबंध में नियुक्ति/पदोन्नति की शक्ति है, जबकि परियोजना/फैक्ट्री कॉर्पोरेट कार्यालय प्रबंधकों जिनका 2250/- -2750/- रुपये/2000/- रुपये वेतनमान है उन्हे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति की शक्ति है, जिनका अधिकतम वेतनमान 1200/- रुपये से अधिक नहीं है। इस प्रकार, आवेदक/याचिकाकर्ता जो उप निदेशक के पद पर है जिनका वेतनवान 1300/ से 1700/- रु जिसकी अधिकतम राशि 1700/- रुपये से अधिक नहीं है, उनको बर्खास्त करने के लिए निदेशक (कार्मिक) एक सक्षम प्राधिकारी है । इसलिए, कार्यकारी निदेशक (विपणन) द्वारा पारित दिनांक 9-8-1994 का बर्खास्तगी आदेश विधि की दृष्टि से गलत है और अभिखंडित किए जाने योग्य है। आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंब लिया है: (1) कृष्ण कुमार बनाम मंडल सहायक विद्युत अभियंता, मध्य रेलवे व अन्य[1], (2) रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार और अन्य बनाम एस. डैनियल और अन्य[2],(3) भारत संघ और अन्य बनाम एन.वी. फणीन्द्रन[3], (4) वी.सी., बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य बनाम श्रीकांत[4],(5) मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाम बाबू थॉमस[5]।

4) इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पुनर्विलोकन याचिका को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता पुनर्विलोकन याचिका में अपना रुख नहीं बदल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है जो वस्तुतः नए सिरे से सुनवाई के समान है। दूसरा तर्क यह कि, निदेशक (कार्मिक) की शक्तियाँ दिनांक- 8-5-1992 और दिनांक-18-11-1993 के परिपत्रों द्वारा कार्यकारी निदेशक (विपणन) को प्रत्यायोजित की गई थी। नियुक्ति, पदोन्नति, समाप्ति, बर्खास्तगी, पद में कमी और निलंबन आदि के संबंध में निदेशक (कार्मिक) की सभी शक्तियाँ, दिनांक-18-11-1993 के कार्यालय आदेश द्वारा कार्यकारी निदेशक (विपणन) को प्रत्यायोजित कर दी गई थीं। इस प्रकार, अभिलेख मे स्पष्ट रुप से कोई त्रुटि नहीं है और अन्यथा भी, कार्यकारी निदेशक (विपणन) द्वारा पारित आदेश कानूनी तथा वैध था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिवचनो और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया है कि रिट याचिका में पारित आदेश, याचिका की सुनवाई के समय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर आधारित था, अतः माननीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं थी। हालाँकि, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, अभिवचनो और संबंधित नियमों के विपरीत थे। अतः, इस माननीय न्यायालय को पुनर्विचार हेतु अभिवचनो में उठाए गए बिंदुओं और विधि के संबंधित प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

7) यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनर्विलोकन याचिका की आड़ में याचिकाकर्ता को पूरे मामले पर नए सिरे से बहस करने की अनुमति नहीं दी जानी

चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पुनर्विलोकन याचिका को अपील में बदलने के समान होगा और यह विधि मे बनाये रखने योग्य नहीं है। (देखें श्रीमती मीरा भंजन बनाम श्रीमती निर्मला कुमार चौधरी[6], लिली थॉमस आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य[7], अजीत कुमार रथ बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य[8], भारत सरकार टी.एन. एवं अन्य बनाम एम. अनंचू असारी एवं अन्य[9] तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हाईटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एवं हाइड्रोपावर लिमिटेड, एवं अन्य[10]।)

8) सीसीआई नियमों के नियम 28 में यह प्रावधान है कि उप-नियम के प्रयोजन के लिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्धारण कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करते समय उसके वास्तविक पद के आधार पर, या यदि वह निलंबित है, तो निलंबन के समय उसके धारित पद के आधार पर किया जाएगा। नियम 28 इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"28. अनुशासनात्मक प्राधिकारी:

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी या उससे उच्चतर कोई अन्य प्राधिकारी नियम 26 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

टिप्पणी: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्धारण किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करते समय उसके द्वारा वास्तव में धारित पद के संदर्भ में किया जाएगा, अथवा यदि वह निलंबित है, तो निलंबन के समय उसके द्वारा धारित पद के संदर्भ में किया जाएगा।

9) इसमें कोई विवाद नहीं है कि निदेशक (कार्मिक) जो शुरू में उप प्रबंधक (विपणन) के नियुक्ति प्राधिकारी थे, जिनका वेतनमान अधिकतम 1700/- रुपये से अधिक नहीं था, की शक्तियां कार्यालय आदेश दिनांक 18-11-1993 (अनुलग्नक आर/2) के तहत कार्यकारी निदेशक (विपणन) को प्रतयायोजित की गई थीं, जो इस प्रकार है:-

"नवंबर, 18, 1993

कार्यालय आदेश

कार्यकारी निदेशक (विपणन) द्वारा प्रयोग की जाने वाली निदेशक (विपणन) की शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन की अनुसूची संलग्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(के. मार्कंडेय)
संयुक्त.वरिष्ठ प्रबंधक (एम एंड सीएस)

निदेशक (विपणन) की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी निदेशक (विपणन) द्वारा किया जाएगा

सरल क्रमांक	पावर प्रतिनिधि का विवरण	शक्ति की सीमा	टिप्पणी

<u>स्थापना/प्रशासनिक मामले</u>

1	निरंक	निरंक	निरंक
2	निरंक	निरंक	निरंक
3	निरंक	निरंक	निरंक
4	सेवा समाप्ति और त्यागपत्र स्वीकार करना	पूर्ण शक्ति जिसके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है, प्रासंगिक नियमों और विनियमों के पालन के अधीन।	निरंक
5	सेवा से निलंबन अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंड के साथ पद में कमी आदि।	क) समाप्ति, बर्खास्तगी, पद में कमी और निलंबन के लिए पूर्ण शक्तियां जिसके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है	1. किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय जांच के माध्यम से आरोप स्थापित होने के पश्चात किया जाएगा।
		(ख) नियुक्ति प्राधिकारी से एक स्तर नीचे के प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली अन्य सभी सज़ाएं	2) इसके 4 एवं 5 के लिए अपीलकर्ता प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी से एक पद ऊपर होगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10) सीसीआई नियमों के नियम 28 की टिप्पणी से बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्मचारी पर दंड अधिरोपित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी की क्षमता देखी जाएगी। बर्खास्तगी का आदेश दिनांक- 9-8-1994 को पारित किया गया था और नियुक्ति, बर्खास्तगी, निलंबन आदि की शक्तियाँ नवंबर, 1993 में ही कार्यकारी

निदेशक (विपणन) को प्रत्यायोजित कर दी गई थीं। इसलिए, कार्यकारी निदेशक (विपणन) दिनांक 9-8-1994 को बर्खास्तगी आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे।

11) कृष्ण कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिये गए, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनिर्णीत किया था कि, क्या प्राधिकारी किसी अन्य के अधीनस्थ पद का है, इसका निर्धारण नियुक्ति की तिथि पर विद्यमान मामलों की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते है, क्योंकि नियुक्ति के समय प्राधिकारी निदेशक (कार्मिक) हो सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी से पहले, निदेशक (कार्मिक) की शक्ति कार्यकारी निदेशक (विपणन) को प्रत्यायोजित कर दी गई थी, जिन्होंने निदेशक (कार्मिक) की ओर से शक्ति का प्रयोग किया था। मुख्य याचिका या पुनर्विलोकन याचिका में इस तरह के प्रतिनिधिमण्डल की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

12) रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रूपचंद बनाम पंजाब राज्य[11] के मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि प्रतिनिधि द्वारा संस्थित की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को विधि में स्वयं प्रमुख द्वारा की गई कार्रवाई माना जाना चाहिए।

13) याचिकाकर्ता द्वारा अवलंब लिए गए, भारत संघ एवं अन्य बनाम एन.वी. फणीद्रन (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वैज्ञानिक सलाहकार एवं अन्य के मामले को अनुमोदन सहित संदर्भित कर दिया है।

14) मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों में कोई मदद नहीं करता है क्योंकि क्योंकि नियुक्ति, बर्खास्तगी, निलंबन की शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रयोग करने वाले कार्यालय ज्ञापन निदेशक (कार्मिक) का पद दिनांक 9-8-1994 के बर्खास्तगी आदेश से पहले प्रभावी हुआ था।

15) उपर्युक्त कारणों से, पुनर्विलोकन याचिका में कोई सार दिखाई नहीं देता है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

[1] एआईआर, 1979 (एससी) 1912
[2] 1990 (सप्लीमेंट) एससीसी, 374
[3] 1995 (6) एससीसी, 45
[4] 2006 (11)एससीसी, 42
[5] 2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 4716
[6] एआईआर 1995 एससी 455
[7] एआईआर 2000 एससी 1650
[8] एआईआर 2000 एससी 85
[9] (2005) 2 एससीसी 332
[10] (2005) 6 एससीसी 651
[11] एआईआर 1963 (एससी) 1503

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by – Vidhi Mehta</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur